

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी, 2017-पोष 30, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

- सन्दर्भ:- (1) बोर्ड का आदेश क्रमांक 477, दिनांक 06 अप्रैल, 2016
- (2) मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ-5-15/1994/32/2007, दिनांक 25-01-2008.
- (3) बोर्ड का आदेश क्रमांक 858, दिनांक 20 अप्रैल, 2015
- (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक-B-29012/ESS(CPA)/2015-16, दिनांक 07-03-2016 के माध्यम से जारी किये गये निर्देश.

क्र.4551/तक/प्रनिबो/भोपाल/2016.—यह कि मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल द्वारा जारी सन्दर्भित अधिसूचना क्रमांक 2 एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश सन्दर्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित 544 एवं 23 प्रकार के उद्योगों को जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति हेतु सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गई.—

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देश पत्र दिनांक 07-03-2016 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा सन्दर्भ क्रमांक 1 आदेश द्वारा 36 प्रकार के औद्योगिक सेक्टर को व्हाईट कटेगरी में रखते हुये अधिसूचित क्षेत्र में स्थापना हेतु बोर्ड की उत्पादन सम्मति से मुक्त रखा गया है.
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित पोल्यूशन इन्डेक्स के आधार पर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों को व्हाईट कटेगरी में रखे जाने संबंधी प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परीक्षण किया गया तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 में हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में विभिन्न औद्योगिक सेक्टर एवं विभिन्न उत्पादों के निर्माण में संलग्न औद्योगिक इकाईयों को व्हाईट कटेगरी में रखे जाने के संबंध में प्रदेश के उद्योग विभाग, ट्राईफेक एवं विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के

साथ दिनांक 28-11-2016 एवं 15-12-2016 को विचार-विमर्श कर उनके सुझाव को सम्मिलित करते हुये संलग्न सूची में उल्लेखित औद्योगिक सेक्टर एवं लघु उद्योगों को व्हाईट कटेगरी में रखा जाता है।

4. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा व्हाईट कटेगरी में वर्गीकृत औद्योगिक सेक्टर/उद्योगों को उद्योगों की स्थापना हेतु अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित किये जाने पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना एवं उत्पादन सम्मति से मुक्त रखा जाता है।
5. बोर्ड द्वारा वर्गीकृत उपरोक्त सूची में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने अथवा ऐसे औद्योगिक सेक्टर/उद्योग जो कि वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 1498, दिनांक 13-4-2016 द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों के संज्ञान में ऐसे औद्योगिक सेक्टर/उद्योग आते हैं जिन्हें वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है, समिति के समक्ष रख जायेंगे समिति द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण हेतु लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

WHITE CATEGORY INDUSTRIES

S.N.	Industries/activities/projects/products
1	2
1	Assembly of air coolers/conditioners, repairing & servicing.
2	Assembly of bicycles, baby carriage and other small non-motorised vehicles
3	Bailing (hydraulic Press) waste papers, plastic waste etc.
4	Bio fertilizer & bio-pesticide without using inorganic chemical.
5	Biscuit/egg trays etc. from rolled PVC/paper board sheet (using automatic vacuum forming machine)
6	Blending and packaging of Tea
7	Block making for printing without foundry
8	Chalk making from plaster of paris.-
9	Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen, Medical oxygen
10	Cotton, Synthetic, Silk and woolen hosiery making (dry process only without any dyeing/washing operation) (SSI & Cottage industries)
11	Diesel pump repairing & servicing dry mechanical process
12	Electric lamp (bulb), LED and CFL manufacturing by assembling only
13	Electrical & electronic items assembling other than covered, under E-waste Rules, 2016
14	Engineering and fabrication units (Dry process without any heat treatment/metalsurface finishing operation/painting)
15	Flavoured beetle nut production/grinding. (completely dry mechanical operations)
16	Fly ash bricks/blocks manufacturing
17	Fountain pen manufacturing by assembling only
18	Glass ampules & vials making from glass tubes,
19	Glass putty and sealant by mixing with machine only
20	Groundnut decorticating (dry)
21	Handloom/ Carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
22	Leather cutting and stitching (less than 50 machines and using motor)
23	Manufacturing of coir items from coconut husk
24	Manufacturing of metal caps, containers etc. by metal pressing only.
25	Manufacturing of shoe brush, wire brush, hair brush, paint brush etc.

1	2
26	Medical oxygen
27	Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
28	Organic manure (manual mixing).
29	Packing of powdered milk
30	Paper pins and U-clips by dry process
31	Repairing of electric motor & generator dry mechanical process
32	Rope (Cotton & Plastic)
33	Scientific and mathematical instruments manufacturing
34	Solar module (Non conventional energy apparatus) manufacturing unit
35	Surgical and medical products not involving effluent/emission generating processes
36	All Solar power generation through solar photovoltaic cell
37	All wind power
38	mini hydel power (<25 MW)
Other	
39	Agricultural services not elsewhere classified (like harvesting & threshing).
40	Button & hooks manufacturing units.
41	Computer and peripheral assembling units.
42	Ceramic products manufacturing by sun drying.
43	Common salt crushing and packing units.
44	Distributors of agricultural machinery and equipment.
45	Distributor of industrial machinery and equipment other than electrical.
46	Embroidery work, zari work and ornamental trimmings carrying units (by hand).
47	Engineering workshop, machine shop, fabrication shop, smithy shop, turning shop, cutting Shop
48	Frying of dals and other cereals n.e.c.
49	Electro magnets, fans, armature, coils and electro-magnetic instruments (Assembling only).
50	Floriculture & Horticulture.
51	Inland water fishing.
52	Industrial items from engineering plastics by fabrication process only.
53	Jute and natural fiber goods making units.
54	Jute and Mesta pressing and baling units
55	Making of laces and fringes by hand.
56	Manufacturing units of Articles of paper (used as containers).
57	Manufacturing units of straw. basket ware and wicker ware.
58	Manufacturing units of blankets, shawls, carpets, rugs (only weaving).
59	Manufacturing units of purses and ladies handbags. artistic leather presentation from ready leather.
60	Manufacturing of blankets and shawls by hand.
61	Manufacturing of cotton carpets by hand.

1	2
62	Manufacturing of matches on cottage scale.
63	Manufacturing of woolen carpets by hand.
64	Manufacturing of silk carpets by hand.
65	Manufacturing of durries, drug gets and rugs by hand.
66	Manufacturing of raincoats, hats, caps and school bags.
67	Manufacturing of curtains, bed-covers and furnishings 0 hand embroidered.
68	Manufacturing of curtains, bed-covers and furnishings 0 hand printed (without dyeing & printing)
69	Manufacturing of crocheted made-up textile goods, except apparel.
70	Manufacturing of made-up canvas goods such as tents and sails etc.
71	Manufacturing of glass bangles.
72	Manufacturing of glass decoration pieces.
73	Manufacturing of gypsum boards.
74	Manufacturing of locks (without electroplating/anodizing).
75	Manufacturing of oil stoves (pressure and non-pressure).
76	Manufacturing of carrom boards and tables for billiards, table tennis and others.
77	Manufacturing of billiard sticks, hockey sticks, cricket bats, stumps and others.
78	Manufacturing of rackets for badminton, lawn tennis, table tennis, etc.
79	Manufacturing of balls including those of billiards.
80	Manufacturing of brushes/dusters and similar articles of feathers.
81	Manufacturing of advertising sign-boards and displays etc.
82	Manufacturing of sports kit.
83	Manufacturing of market basketry, grain storage bins, irrigation baskets and similar.
84	Manufacturing from cane and bamboo of shopping bags, ornament boxes.
85	Manufacturing of articles made of palm leaf, screw pine leaf and khajoor leaf.
86	Manufacturing of wooden industrial fixtures such as bobbins, spools, sewing ruler.
87	Manufacturing of wooden tool handles.
88	Manufacturing of broomsticks.
89	Manufacturing of wooden toys, decoration pieces and wooden lamp stands, etc.
90	Manufacturing of wooden agricultural implements.
91	Manufacturing of other wooden household products n.e.c.
92	Manufacturing of coir items from coconut husk
93	Manufacturing of domestic flour mill (without plating, electroplating and heat treatment).
94	Manufacturing of fork-knife, scissors.
95	Manufacturing of frames for spectacles (only assembling)
96	Manufacturing of all types of threads, cordage, twines etc.
97	Manufacturing of weighing machines.
98	Manufacturing of coir rope and cordage.
99	Manufacturing of other rope and cordage including that of jute/mesta and coir.

1	2
100	Manufacturing of nets (except mosquito nets).
101	Manufacturing of tapes, niwar and wicks etc.
102	Manufacturing of handicraft/decorative/fancy items, n.e.c.
103	Motor Rewinding
104	Measuring/controlling/regulating instruments manufacturing units
105	Manufacturing of photo frame, mirror frame.
106	Manufacturing of boora.
107	Manufacturing of screw, nut-bolts etc.
108	Manufacturing of pickle and papad up to 500 kg/day
109	Non-Electrical machine tools manufacturing units.
110	Ocean, sea and coastal fishing.
111	Painting and decorating work for constructions.
112	Production of firewood/fuel wood (including charcoal by burning) by exploitation.
113	Pump and motor assembling units.
114	Processing of dry rice.
115	Processing of edible nuts except oil expeller.
116	Processing of groundnuts except oil expeller.
117	Printed books, Notebooks, Registers and other printed materials.
118	Printing of cloth by hand.
119	Sun drying of fruits & vegetables.
120	Sun drying offish.
121	Salt manufacturing at cottage scale.
122	Salt quarrying and screening etc.
123	Soil conservation services.
124	Scientific services like soil testing ..
125	Soil desalination services.
126	Spinning, weaving and finishing of coir textiles.
127	Spinning, weaving and finishing of sann hemp and other vegetable fibre textile.
128	Transformer assembling units.
129	Timber works such as fixing of doors, windows and panels etc.
130	Units carrying Electrical installation work for constructions.
131	Various types of Hand Tools manufacturing.
132	Warehousing of agricultural products without refrigeration.
133	Wool spinning, weaving and finishing other than in mills.
134	Weaing and finishing of cotton khadi.
135	Waste papers bailing process (hydraulic press) .
136	Body building of wooden boats & trawlers
137	Hair sizing

1	2
138	Re-packing of finished products (Dry products)
139	Safety Match sticks
140	Silk twisting (excluding dyeing & de-gumming)
141	Honey Processing
142	Import and storage of edible oil only
143	Broom Sticks manufacturing with artificial drying and bleaching without generating trade effluents.
144	Audio, Video and consumer electronic equipment assembly only
145	Beauty Parlour
146	Belt Fastner units without wet process
147	Bindi making units.
148	Bio Gas
149	Biscuits, Pastries, Cakes, Confectionery, Bread, Bakery upto 100 kg/day (by electrical/Gas Oven/ furnace)
150	Book Binding.
151	Decoration of ceramic cups & plates by electric furnace
152	Embroidery.
153	Fish Ponds
154	Floor Polish, Nail Polish, Tooth Powder, Hair Oil, Shampoo and Tooth Paste (by physical blending only)
155	General Wire Industries like wire drawing, barbed wire, Chain links, making units (without wet process and heat treatment)
156	Marketing/Industrial Consultancy/Advertising Agencies
157	Mushroom cultivation under controlled cond itions/temperature
158	Preparation of Photo identity card by using video camera-laser printing
159	Sericulture units
160	Solar Energy Panel making by assembling only
161	Weigh Bridge Assembling
	Cotton, Synthetic, Silk and woolen hosiery making (dry process only without any dyeing/ washing operation)(SSI & Cottage industries) (White category -W-10) (162 to 744).
162	Cotton cloth knitted Without Dying, Printing
163	Cotton vests knitted Without Dying, Printing
164	Cotton socks knitted Without Dying, Printing
165	Cotton undergarments knitted Without Dying, Printing
166	Cotton shawls knitted Without Dying, Printing
167	Other cotton knitted wears Without Dying, Printing
168	Woolen cloth knitted Without Dying, Printing
169	Woolen vests knitted Without Dying, Printing
170	Woolen socks knitted Without Dying, Printing
171	Woolen scarves knitted Without Dying, Printing

1	2
172	Woolen undergarments knitted Without Dying, printing
173	Woolen caps Knitted Without Dying, Printing
174	Woolen shawls knitted Without Dying, Printing
175	Woolen gloves Without Dying, Printing
176	Woolen mufflers knitted Without Dying, Printing
177	Other Woolen knitted wears Without Dying, Printing
178	Silk Manmade Fiber hosiery Without Dying, Printing
179	Synthetic knitted socks and stocking Without Dying, Printing
180	Synthetic knitted underwear such as drawer Without Dying, Printing
181	Synthetic knitted underwear such as vest-briefs Without Dying, Printing
182	Synthetic knitted outer wears jersey Without Dying, Printing & DG - set
183	Slipover pullover cardigans and jacket
184	Synthetic knitted outer wears such as slipover
185	Synthetic knitted outer wears such as jersey, slipover
186	Synthetic knitted children wear such as baby suites
187	Synthetic knitted children wear knickers frock
188	Synthetic knitted children wear outerwear
189	Synthetic knitted children wear such as baby suites, knickers
190	Synthetic knitted fabrics except high pile fabric made by silk knitting
191	Synthetic knit wear such as scarf, muffler
192	Synthetic knit wear such as scarf shawl
193	Synthetic knit wear such as scarf cap ties
194	Synthetic knit wear such as scarf jean
195	Synthetic knit wear such as scarf blouse
196	Synthetic knitted swim wear such as tunics and costume
197	Synthetic knitted shirt,
198	Synthetic knitted T-shirt,
199	Synthetic knitted sports skirts
200	Synthetic knitted collar shirt
201	Synthetic knitted hose
202	Synthetic knitted gas mantle fabric
203	Other synthetic knit wears
204	Stove Wicks
205	Readymade garments
206	Cotton belting
207	Belt lacing
208	Measuring Tapes-Cotton

1

2

Wood & Wood Products without use of powered appliances

- 209 Sawn timber
 210 Wooden crates
 211 Tea chest plywood
 212 Seasoned wood
 213 Wooden sewing machine covers
 214 Cable drums for AA and ACR conductors
 215 Tent Poles
 216 Wooden plugs
 217 Handles- bamboo
 218 Handles- Wooden
 219 Teak fabricated round block
 220 Wooden storage cupboards
 221 Wooden furniture and fixtures
 222 Wooden storage shelves
 223 Wooden storage racks
 224 Wood Wool slabs
 225 Wooden doors fabrication units
 226 Wooden windows fabrication units
 227 Wooden packing materials
 228 Wooden boxes
 229 Wooden electric boards

Stationery items only by physical cutting /assembling/Pasting

- 230 Waxed Paper
 231 Decorative Papers
 232 Corrugated paper
 233 Corrugated boards
 234 Paper Bags
 235 Composite containers (unlaminated)
 236 Paper board cartons (unlaminated)
 237 Paper cups
 238 Paper plates
 239 Paper envelopes
 240 Corrugated Fibre board containers
 241 Paper twines strings
 242 Paper twines ropes

1	2
243	Paper-cones
244	Paper Tubes
245	Drinking straws
246	Paper napkins
247	Paper facial tissue napkins
248	Gummed Tape
249	Tele-printer rolls
250	Stencil Paper
251	Tele-Tape rolls
252	Slitting of ordinary paper into rolls
253	Slitting of ordinary paper into sheets
254	Toilet paper rolls
255	Toilet paper sheets
256	Paper straps
257	Labels of gummed paper etc
258	Stickers of gummed paper etc
259	Treated tracing paper
260	Gummed Paper for stamps
261	Gummed Paper other than for stamps
262	Sanitary towel
263	Transfer labels
264	Exercise books
265	Exercise registers
266	Letter pads
267	File covers
268	File board
269	Ball point pens
270	Pen nibs
271	Ball pens components excluding metallic tips
272	Fountain pens components excluding metallic tips
273	Pencils
274	Hand stapling machine
275	Paper pins
276	Carbon paper
277	Typewriter ribbon
278	Hand numbering machines
279	Pencil sharpeners

1

2

Leather cutting and stitching (W-22)(Without Tanning, Processing)

- 280 Sole leather
 281 Bun war leather
 282 Katie leather
 283 Picking band leather
 284 Leather pickers and other leather Accessories for textile industry
 285 Vegetable tanned hides Semi finished
 286 Vegetable tanned skins Semi finished
 287 Chrome tanned hides Semi finished
 288 Chrome tanned skins Semi finished
 289 Lining leather from goat skins
 290 Lining leather from sheep skins
 291 Laminated leather belting
 292 Harness leather
 293 Leather shoes
 294 Leather shoes upper closed
 295 Leather chapels
 296 Leather sandals
 297 Leather garments
 298 Leather suit cases
 299 Leather travel goods
 300 Leather hand bags
 301 Leather purses
 302 Farey leather goods and other novelty items
 303 Watch straps leather
 304 Leather cases and covers of all types
 305 Industrial leather gloves
 306 Leather laces
 307 Leather washers

Engineering and fabrication units (Dry process without any heat treatment/metal surface finishing operation/painting/welding) W-14

- 308 Steel Almiraha
 309 Food safer-Metallic
 310 Meat safer-Metallic
 311 Metal cabinet- All type
 312 Steel trunk
 313 Tin containers unpainted-upto 18 litres capacity

1	2
314	CI Buckets
315	Barrels upto 60 liter cap
316	Tin trays
317	Drums upto 60 liter cap
318	GI Bath tubs
319	Dust bins
320	Sanitary fixtures-metallic
321	Sackets end valves water pipe fittings
322	MS Pipes fittings upto 100
323	MS Storage tanks upto 15,000 litres storage capacity
324	Pressure stove
325	Wick stoves non branded
326	Lanterns
327	Signal lamps
328	Hand lamps
329	Shoe backs
330	Shoe eyelets
331	Umbrella rib stand fitting
332	Zip Plasterers, Metallic
333	Tin cutters
334	Belt Fasteners
335	Snap fasteners
336	Pilier Proof caps
337	Gun cases
338	Crown corks (except for captive consumption)
339	Doors metallic
340	Entilators metallic
341	Windows metallic
342	Rolling shutters
343	Lantern bodies
344	Lantern posts
345	Aluminum furniture
346	Adjustable beds - Hospital
347	Iron and Steel cots - All types
348	Storage cupboard~ - Iron and Steel
349	Rooks - All types
350	Wheel chairs for invalids

1	2
351	Steel chairs all types
352	Steel tables - hospitals
353	Steel tables all other types
354	Trolleys - Railway Platform drinking water
355	Trolleys - Iron and Steel Hospital
356	Stretchers - Iron and Steel
357	Storage bins- steel
358	Steel furniture- All other types
359	Hacksaw Frames
360	Pliers
361	Screw drivers
362	Spanners
363	Hammers
364	Anvil
365	Wood working saws
366	Wrenches
367	Knives
368	Shearing blades
369	Nail pullets
370	Chisels
371	Pincurs
372	Wire cutters
373	Hand Tools for Blacksmith,
374	Other Hand Tools for carpentry,
375	Other Hand Tools for Hand forging,
376	Other Hand Tools for foundry
377	Bolts and nuts - Except high tensile and speddal types
378	Rivets of all types/including bifurcated
379	Wire adjusting screws
380	Tumbler locks
381	Pad locks
382	Safe/cabinet locks
383	Door locks
384	Locks bicycles
385	Drawer locks and suitcase locks
386	Chairs lashing
387	Perian wheels

1	2
388	Chaff cutters
389	Chaff cutter blades
390	Animal driven implements
391	Crow bars
392	Plough shears/iron ploughs
393	Cultivators
394	Disc Harrows
395	Insecticide duster - Manual
396	Insecticide sprayers - Manual
397	Forks
398	Hoes
399	Levelers
400	Mowers
401	Stainless Steel utensils
402	Pickers- Metallic
403	Hand pumps
404	Seed Treaters
405	Hand shovels
406	Sickles
407	Seed bins
408	Water lifiers
409	Kodali
410	Other agricultural implements
411	Wire nails
412	Panel pins
413	Wood screws
414	Machine screws except socket head and special types
415	Gate Hooks
416	Shoe nails animal
417	Hob nails
418	Builders hardware
419	Metallic washers
420	Barbed wire
421	Vitreous enamel hollow
422	Spoons-Cutlery
423	Forks -Cutlery
424	Table knives/Household knives

1	2
425	Bread cutters
426	Other cutlery items
427	Domestic utensils - Brass
428	Domestic utensils - Bell/Metal
429	Domestic utensils Bell / Metal
430	Domestic utensils - Copper
431	Domestic utensils Iron
432	Domestic utensils - Silver
433	Domestic utensils - Bronze
434	Domestic utensils-German
435	Gas appliances such as ovens etc
436	Gas lighters-Mechanical
437	Razors
438	Safety Pins
439	Watch straps - Metallic
440	Beam Scales
441	Postal weighing scales
442	Expanded metal
443	Welded Wire metal units
444	Wire gauge metallic
445	Wire netting metallic
446	Steel Wool
447	Hair pins
448	Metal fittings for leather goods Metal fittings and garments
449	Metal fittings for garments
450	Ghamelas
451	Blacksmith bearths
452	Brass Dampers
453	Measuring tapes Steel
454	Lamp holders
455	Winnowers up to 5 HP motive power
456	What and rise threshers up to 5 HP motive power
457	Seed cleaners-up to 5 HP motive power
458	Grain Dries-upto 5 HP motive power
459	Shell huskers upto 5 HP motive power
460	Reapers upto 5 HP motive power
461	Cotton celiniting machine

1	2
462	Seed drills
463	Other agricultural machinery
464	Harvester grader, baler and other earth moving blades used in agricultural machines
465	Low space gear for use in agricultural machines thrashers made of cast iron mild steel
466	Diesel engines upto 15 HP stone speed
467	Dal mill machinery
468	Rice mill machinery
469	Oil crushers
470	Oil crusher parts
471	Cotton ginning knives
472	Tea cutting knives
473	Three knives trimmer and envelope,
474	Clicking khives for leather industry
475	Chopping knives and lancets for match industry
476	Elastic shredding and granulating, knives
477	Knives and shearing blades (all type including those for metal paper bamboo)
478	Doctor blades-
479	Stainless Steel refiner/bar knives
480	Concrete mixers upto 5 meter capacity
481	Bend saw blades for cutting wooden logs
482	Room cooler desert type
483	Air-conditioning ducting louvers, grilis and other sheet fabrication
484	Centrifugal pumps upto size 10 cm x 10 cm
485	Air compressors upto HP for spray painting repair shops
486	Electro formed screen/Liners used in the chemicals and sugar industries
487	Hand Threading tap holders
488	12 mm Drilling machine upto 1000 rpm Bench and pedestal type
489	Turning, Boarding and Trading Add as small single or multiple operation devices
490	Punch Grinder upto 500 mm diameter
491	Power hacksaw mechanical 300 mm Blade
492	Screw Presses (Manually operated)
493	Hand Presses (manually operated)
494	Coolant Pumps etc
495	Steadies
496	Dog plates
497	Machine vices, machine tool
498	Carbide tipped tools single point Brazed carbide bits purchased from manufactures

1	2
499	Weighing machines
500	Weighing bridges ordinary
501	File mechanism
502	Sewing machine, Domestic Hand operated, conventional type
503	Household knitting machine
504	Absolute filters for biological and air conditioning application
505	Duplicating machines-other than those of special type
506	Bottle -washes
507	Double can mixer - dairy Equipment
508	Micro pulverize- Dairy equipment
509	Rotary dryers- Dairy equipment's
510	Basket type centrifuges
511	Milk cooling and ghee settling equipment- Dairy Equipment
512	Evaporating pans-Dairy equipment
513	Butter chorm - Dairy equipment
514	Curd Mills-Dairy equipment
515	Agitater - Dairy equipment
516	Storage tanks for dairies
517	All poultry equipment
518	Fabrication of tractor trawler
519	Casting units - using pit furnace
520	Steel doors & shutter fabrication units
	Electrical & electronic items assembling (Completely dry process) (W-13)
521	Hairdryer All type
522	Express coffee makers upto 170 liters capacity
523	Immersion water heaters upto 5 kW
524	Food warmer treys upto 500 -watts
525	Bread toasters ordinary/upto/semi auto upto cap 6 slices
526	Ice cream makers cap 1 liter for use with domestic refrigerators
527	Electrical Wiring accessories other than switches, Plugs and Sockets
528	Electrical light fitting chokes
529	AA Conductors upto and including 19 strands
530	ACSR conductors up to and including 19 strands
531	Carbon brushes manufactured from carbon black
532	Emergency lamps
533	Electrical light fitting starter
534	Black adhesive insulation tape electrical use
535	Metal clad switches upto 100 Amps

1	2
536	Radio/Car Radio, Low cost upto Rs 250 each
537	TV Antenna-
538	TV tuners excluding electronic tuners
539	TV Games
540	Pick up cartridges
541	TV Booster amplifier
542	Radio and TV Coils
543	Amplifiers for entertainment
544	Public address system
545	Assembly of loudspeakers
546	Inverters and converters up to 500 volts amperes
547	Regulated DC lower supplies upto 001% regulation
548	Electronic fan regulators
549	Dimmers & Twilight Switches
550	Digital clocks
551	Wire-wound resistors other than professional types
552	Telescopic aerials for radio receivers
553	Battery eliminators
	Auto Parts, Components and Ancillaries & Garage Equipment(Assemhling only)
554	Sun shades- Auto
555	Side lamps assembly-auto
556	Spot lamp assembly-auto
557	Stop lamp assembly-auto
558	Tail lamp assembly-auto
559	Ash trays-car fittings
560	Battery cell tester
561	Electrical fuse boxes-auto
562	Electrical fuse-auto
563	Exhaust mufflers-auto other than double coil exhaust mufflers
564	Fuel tank caps-auto
565	Fuel lines-auto
566	Armature tester
567	Battery terminal lifters
568	Condensers testers
569	Resistance testers
570	Femmers spoons and hammers
571	Feeler gauges
572	Flaring Tools

1	2
573	Gear flushers
574	Puller of all types
575	Ring expanders
576	Ring compressors.
577	Screw extractors
578	Spark plug cleaners
579	Spark plug tester
580	Stud removers-extractors
581	Toe in gauges
582	Tyre valve pullout tools
583	Tube cutter
584	Flanging tools
585	Valve lifters
586	Valve replacing and resetting tools
587	Camber testing equipment
588	Painting equipment's like spray guns etc
589	Grease guns
590	Tyre inflators-Bath hand and foot operated
591	Electric Horns-auto
592	Auto rubber components and follows
593	Brake pedals,
594	Clutch pedals
595	Dust covers
596	Wiper blade components
597	Windscreen beading
598	Door
599	Rubber Beading
600	Rubber mats
601	Spokes and nipples- auto-cycle other than cowaged type
602	Sun Visors Auto
Assembly of bicycles, baby carriage and other small non-motorised vehicles (W-2)	
603	Cycle frames
604	BB Axle
605	BB Cups
606	BB Shells
607	Bicycle tube valves
608	Handles bicycles

1	2
609	Bolts and studs and screw- All types Bicycles
610	Bells-Bicycles
611	Carrier Bicycles
612	Chains cycles
613	Chain -wheels and adjusters
614	Chain covers
615	Cones covers
616	Cotter pins cycle
617	Crank shafts cycle
618	Crank forging-cycle
619	Grown outer cover
620	D nuts-cycle
621	Bye bolt cups-cycle
622	Fork handles-cycle
623	Fork handles-cycle
624	Frame collars-cycle
625	Guide pins cycle
626	Handle bar grips
627	Hub oil clips-bicycle
628	Hub out put bicycle
629	Lock nuts and rings bicycle
630	Lugs all types-Bicycle
631	Mudguards-Bicycle
632	Lamp Brackets-Bicycle
633	Pedal assembly cycle
634	Saddle cycle
635	Shackle rivote-cycle
636	Stand- cycle
637	Spokes and nipples cycle
638	Hubs and cups-bicycle
639	Rims-Cycle Except for captive consumption
640	Other cycle parts and accessories except free wheel
641	Tricycles
642	Tricycles -parts and accessories
643	Perambulator
644	Perambulator parts and accessori es

1

2

Agriculture Implements-Hand Operated tools & animal driven implements made by fabrication only & no surface treatment

- 645 Animal drawn carriage fitting, Tonga parts and wheeling
 646 Hand drawn carriage fitting, Tonga parts and wheeling
 647 Wheel barrows
 648 Animal-drawn vehicles
 649 Hand drawn parts of all types

Scientific and mathematical instruments manufacturing(W-33)

- 650 Chain line base measuring apparatus
 651 Cross staff
 652 Compass/prismatic
 653 Dividers
 654 Drawing Boards
 655 Dumpy levels
 656 Drawing instruments Engg
 657 Diagonal scales
 658 Engineers level
 659 Engineering scales
 660 French comers
 661 Ghat and reed tracers
 662 Optional square
 663 Protractors
 664 Plane meters
 665 Plane tables equipment
 666 Ranging rods
 667 Flat rule
 668 Set square
 669 Slide rule
 670 Sextant
 671 Triangular Scales
 672 Tee
 673 T-square
 674 Calipers
 675 Drafting machine for Designing and drawing offices
 676 Other drawing mathematical and survey instruments excluding the delites
 677 Drawing instruments manufacturing units
 678 Survey instruments manufacturing units
 679 Scientific instruments manufacturing units

1

2

Sports goods (Manual Process)

- 680 All types of sports nets
 681 Shuttle cooks
 682 Hockey Sticks
 683 Protective equipment's for sport, like pads, gloves etc, soft Leather goods
 684 Dumb-bells and chest expanders
 685 Crickets and hockey balls
 686 Football, Valley ball and basket ball covers

Clocks & Watches

- 687 Table Clocks Pendulum type both with mech movement transistorized movement except lever type clocks.
 688 Wall clocks, Pendulum type both with mech movement transistorized movement except lever type clocks
 689 Time-pieces, Mechanical Winding with alarm conventional
 690 Watch,dials except ornamental high priced dials simple dials
 691 Cast brass watch cases polished and plated

Others goods by physical assembling only

- 692 Umbrellas
 693 Sterilizes stainless steel & Aluminum
 694 Microscope-student and medical use
 695 Water meters
 696 Liquid level controller (Excepting electronic)
 697 Ophthalmic lenses from blanks
 698 Photo graphic enlargers
 699 Projectors including slide and overhead, but excluding profile projectors
 700 Wire brushes
 701 Paint brushes
 702 Hair brushes
 703 Fibre brushes
 704 Tooth brushes
 705 Brushes Natural bristles
 706 Other brushes
 707 Mechanical toys
 708 Won mechanical toys
 709 Cufflinks
 710 Tie-pins
 711 Metallic dress buckles
 712 Settable hinges

1	2
713	Absorbent cotton
714	Cigarette lighters
715	Diamond Cutting Polishing
	Other units
716	Musical instruments (assembling)
717	Raincoats
718	Hand looms weaving (without dyeing)
719	Yarn twisting, criping & texturizing units
720	Fiber-glass molding (Electric furnace)
721	Candles manufacturing
722	Scent sticks manufacturing
723	Domestic flour mill
724	Spices Mills (Masala) upto 05 HP
725	Toys (Handicrafts)
726	Optical Frame
727	Electric lamp (bulb) manufacturing (without using mercury)
728	Bamboo & Cane product (only dry operations)
729	Synthetic rubber and foam (only moulding)
730	Stone carving
731	Power Press
732	Gud manufacturing units (without Boiler)
733	Perfume manufacturing through mixing
734	Bandage cloth by cutting and stitching & no chemical treatment.
735	Brooms of all type
736	Quites, Razais etc
	(a) Building & construction projects up to 2,000 Sq. mtr. built up area (b) land/area
737	development project. up to 01 hectare
738	ITprojects up to 2,000 Sq. mtr. built up area and DG set capacity < 15 KV A
739	Bio/agro waste based briquettes by dry pressing only
740	Garments stitching/Garment making/Tailoring
741	Gold and silver thread zari work
742	Radio assembling
743	Shoe lace manufacturing, apparel making
744	Diesel Generator sets < 15 KYA).

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. ए. मिश्रा,
सदस्य सचिव.

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से परामर्श एवं राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा-48 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश वित्त निगम (स्टॉफ) अधिनियम, 1958 में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा किये जाते हैं:-

उपरोक्त अधिनियम की धारा क्रमांक 19 के खण्ड (बी) के अनुसार संशोधन दिनांक 31 अगस्त, 2016 से प्रभावशील होंगे एवं निम्नानुसार पठित किये जावेंगे.

19 अधिवार्षिकी आयु एवं सेवानिवृत्ति:

(बी) (i) श्रेणी "सी" कर्मचारी के लिये:

निगम के श्रेणी "सी" के कर्मचारियों की अनिवार्य अधिवार्षिकी आयु/सेवानिवृत्ति का दिनांक (राज्य शासन के अनुसार वाहन चालक को छोड़कर परिवर्ती श्रेणी "डी") 62 वर्ष होने के माह का अंतिम दिन होगा.

परन्तु श्रेणी "सी" के कर्मचारियों (राज्य शासन के अनुसार वाहन चालक को छोड़कर परिवर्ती श्रेणी "डी") जिनका जन्म दिनांक किसी भी माह की पहली तारीख को होगा वह 62 वर्ष पूर्ण करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन दोपहर पश्चात् सेवानिवृत्त होगा.

(ii) वाहन चालक के लिए:

निगम के वाहन चालकों की अनिवार्य अधिवार्षिकी आयु/सेवानिवृत्ति का दिनांक 60 वर्ष पूर्ण होने के माह का अंतिम दिन होगा.

परन्तु निगम के वाहन चालक जिनका जन्म दिनांक माह की पहली तारीख को होगा वह 60 वर्ष पूर्ण करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन दोपहर पश्चात् सेवानिवृत्त होगा.

(619)

In exercise of the powers conferred by Section 48(3) of the State Financial Corporations Act, 1951 (LXIII of 1951), the Board of Directors of the Madhya Pradesh Financial Corporation, after consultation with Small Industrial Development Bank of India (SIDBI) and with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Financial Corporation (Staff) Regulations, 1958.

Regulation No.19 (b) of the said regulations, as amended, will be effective from 31 August, 2016 and will now be read as under :-

19. The Superannuation age and Retirement:

(b)(i) For Class "C" employee:

The date of compulsory superannuation age/retirement of Class "C" employee of the Corporation (re-designated as class "D" excluding drivers as per State Government) shall be the last day of the month in which he/she attains the age of 62 years;

Provided that in case of an employee of Class "C" (re-designated as class "D" excluding drivers as per State Government), whose date of birth is first of any month, he/she would be retired, on attaining the age of 62 years, in the afternoon of the last day of the preceding month.

(ii) For Drivers:

The date of compulsory superannuation age/retirement of a driver in the Corporation shall be the last day of the month in which he/she attains the age of 60 years;

Provided that in case of a driver employee, whose date of birth is first of any month, he/she would be retired, on attaining the age of 60 years, in the afternoon of the last day of the preceding month.

By order of Board of the Directors,
Smita Bharadwaj,
Managing Director.

(619-A.)

नाम परिवर्तन

यह कि मैं अब्राहम अहमद पुत्र श्री लतीफ अहमद, निवासी नाका चन्द्रवदनी गली नं. 3, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) यह सूचित करता हूँ कि उपरोक्त पते पर निवास करके मूल निवासी हूँ मेरा नाम शाहरूख खान है. जो मेरी राशि के हिसाब से शूट नहीं करता इसलिये मैं अपना नाम परिवर्तन कर अब्राहम अहमद रख लिया है. भविष्य में मुझे अब्राहम अहमद के नाम से ही जाना जायेगा.

पुराना नाम :
(शाहरूख खान)

नया नाम :
(अब्राहम अहमद)
पुत्र श्री लतीफ अहमद.

(605-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं लोकेन्द्र, उम्र 27 वर्ष पिता दयाशंकर लोखंडे, जाति कुनबी, पता ग्राम बेलगांव पोस्ट जाम, तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा, यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपना नाम लोकेन्द्र लोखंडे से बदलकर केशव देव पिता दयाशंकर लोखंडे कर रहा हूँ. विगत दस वर्षों से काशी (वाराणसी) में गुरु शिष्य परम्परा से संस्कृत धर्म ग्रंथों एवं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ. जो इस अध्ययन के दौरान मेरे गुरु द्वारा मुझे केशव देव पिता दयाशंकर लोखंडे नाम दिया गया है. आज से मेरी पहचान केशव देव के नाम से जन समाज में हो रही है. अतः मुझे आज दिनांक से लोकेन्द्र को छोड़कर केशव देव पिता दयाशंकर लोखंडे के नाम से पहचाना जावे. मेरे सम्पूर्ण दस्तावेजों में भी इस नाम से परिवर्तन किया जा रहा है.

पुराना नाम :
(लोकेन्द्र लोखंडे)
पिता दयाशंकर लोखंडे,

नया नाम :
(केशव देव)
पिता दयाशंकर लोखंडे,
पता-ग्राम बेलगांव, पोस्ट जाम,
तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा.

(606-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विजया लक्ष्मणराव कापडनीस था. मैंने नूतन कन्या मा. वि. क्रमांक 1 जूनी कोर्ट, रतलाम संकुल केन्द्र महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ. मा. वि. रतलाम में शिक्षिका के पद पर नौकरी की थी जहां से दिनांक 30-04-2001 को सेवानिवृत्त हो गयी हूँ मेरा सेवा रिकार्ड में शादी के पूर्व का नाम चला आ रहा है मेरी शादी होने के बाद मेरा नाम सुनिता पति सुरेश जी पलटनवाले हो गया है तथा मेरे आधार कार्ड, निर्वाचन पत्र भी उक्त नाम से है.

2. मैं, विजया लक्ष्मणराव कापडनीस व सुनिता पति सुरेश पलटनवाले नाम की एक ही महिला हूँ. अब मुझे सुनिता पति सुरेश पलटनवाले के नाम से जाना-पहचाना जाता है एवं भविष्य में भी इसी नाम से जाना पहचाना जावे. इस सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो एक सप्ताह की अवधि में सूचित करें.

पुराना नाम :
(विजया लक्ष्मणराव कापडनीस)

नया नाम :
(सुनिता)
पति सुरेश पलटनवाले,
258, देवीसिंह कॉलोनी, रतलाम.

(607-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम बेबी शांजल पटेल लिखा था जिसको मैं अब परिवर्तन कराना चाहता हूँ अब मेरा नया नाम शांजल पटेल के नाम से पढ़ा व लिखा जावे.

अतः मेरे सभी शिक्षण अंक सूचियों व अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नया नाम शांजल पटेल के रूप में लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(बेबी शांजल पटेल)

(608-बी.)

नया नाम :

(शांजल पटेल)

निवासी-चिरहुला कॉलोनी,

रीवा (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मैं, दुखीराम यादव (पूर्व नाम) रामकुमार यादव (नवीन नाम) आत्मज श्री समारू लाल यादव, निवासी वन ग्राम कपोट बहरा, पो. राता, तहसील बिछिया, जिला मण्डला मध्यप्रदेश यह सूचित करता हूँ कि मेरा नाम पूर्व में दुखीराम यादव था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर रामकुमार यादव कर लिया है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(दुखीराम यादव)

(622-बी.)

नया नाम :

(रामकुमार यादव)

नाम परिवर्तन

मैं, कृतिक श्रीराव सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम राहुल श्रीराव पिता श्री रमेश श्रीराव था, जो अब बदलकर कृतिक श्रीराव पिता श्री रमेश श्रीराव हो गया है. अतः वर्तमान एवं भविष्य में मुझे कृतिक श्रीराव पिता श्री रमेश श्रीराव के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(राहुल श्रीराव)

(616-बी.)

नया नाम :

(कृतिक श्रीराव)

पिता श्री रमेश श्रीराव,

330/101, ग्रेटर ब्रजेश्वरी, पिपलियाहाना,

इन्दौर (मध्यप्रदेश).

CHANGE OF NAME

I, NASREEN KHAN here by declare that I, have change my name as NUSREEN SIDDIQUI W/o KAMIL AHMED SIDDIQUI. So, form now and in future I will be known by my new name NUSREEN SIDDIQUI.

Old Name:

(NASREEN KHAN)

(617-B.)

New Name :

(NUSREEN SIDDIQUI)

Add-Super D-377, MPPGCL Colony

Sarni, Disst. Betul (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, JESSY MANMADHAN D/o KADAVIL PUTHWAL MADHAWAN MANMADHAN here by declare that I have changed my name as MINI ANAND D/o KADAVIL PUTHWAL MADHAWAN MANMADHAN. So, from now and in future I will be known by my new name MINI ANAND.

Old Name:

(JESSY MANMADHAN)

(618-B.)

New Name :

(MINI ANAND)

Add-CC-273-B, Vindhya Vihar,

Army War College Mhow,

Dist.-Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम उदय सिंह था. जिसमें मैंने अपना उपनाम लगाकर उदय सिंह बैस कर लिया है. अब मुझे उदय सिंह बैस नाम से ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(उदय सिंह)

(620-बी.)

नया नाम :

(उदय सिंह बैस)

पिता राम सिंह बैस,

102, लैण्डमार्क एवन्यू,

72/73, भगवानदीन नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

CHANGE OF NAME

I, ZAHRA BAI, here by declare that after marriage I, have change my name as PARVEEN HAFIZ W/o JOHAR ALI. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

(ZAHRA BAI)

(621-B.)

New Name :

(PARVEEN HAFIZ)

W/o Johar Ali,

Add.- B.No. 49, Veer Park Road,

Neemuch (M.P.).

आम सूचना

फर्म मेसर्स तुषार इंटरप्राइजेज; पता-एम एफ 23-24, ब्लॉक सी, मानसरोवर काम्प्लेक्स, बीजेपी ऑफिस के पास, भोपाल 462011 रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/00064/07, सन् 2007-08 की रचना में दिनांक 28-12-2016 से परिवर्तन करते हुए श्री मुकेश श्रीवास्तव, पता-एफ 2, 61/1, बैकुंठ अपार्टमेंट, शक्ति नगर, भोपाल एवं श्री आयुष श्रीवास्तव, पता-एफ-2, 61/1, बैकुंठ अपार्टमेंट, शक्ति नगर, भोपाल को दिनांक 28-12-2016 से फर्म में से पृथक् किया गया. जं. नं. एमपी/1937/2013 तदनुसार सूचित हो.

(610-बी.)

केशव सिंह,

C/o मे. तुषार इंटरप्राइजेज भोपाल.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स अर्जुन भाई एम. पटेल एण्ड कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक 124, दिनांक 23-01-2004 है. जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म है. उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्रीमती रमीला बेन व श्री रमेश भाई पार्टनर थे. दिनांक 31-03-2016 से फर्म के अभिलेख से श्रीमती रमीला बेन पृथक् हो गई हैं. फर्म में एक ही भागीदारी होने के कारण फर्म भंग किया जाता है.

(611-बी.)

फर्म-अर्जुन भाई एम. पटेल एण्ड कम्पनी,

रमेश भाई,

(भागीदार)

इन्दौर (म.प्र.).

जाहिर सूचना

(भागीदार अधिनियम की धारा-71 के अंतर्गत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स इमरान खुशीद हसन एण्ड सन्स फर्म पंजीयन क्रमांक 1374/11/04-07-2011 है. दिनांक 08-04-2011 को इस फर्म के भागीदार श्री इलियास खान जो निवृत्त (रिटायर्ड) हो गये हैं. इस फर्म से इनका कोई लेना-देना नहीं रहा है. इस फर्म का नाम मे. इमरान खुशीद हसन एण्ड सन्स है, त्रुटिवश मे. इमरान खुशीद हसन एण्ड सन्स के स्थान पर इमरान खुशीद हसन एण्ड खुशीद हो गया है. पार्टनरशिप डीड अनुसार संशोधित कर पूर्व अनुसार मे. इमरान खुशीद हसन एण्ड सन्स रहेगा.

(612-बी.)

मे. इमरान खुशीद हसन एण्ड संस,

खुशीद हसन,

खण्डवा रेल्वे स्टेशन, खण्डवा (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RAMRAJA DEVELOPERS, CHATARPUR MADHYA PRADESH, having head office at Kishore Sagar Complex, Shop No.1, Jawahar Road, Chatarpur is registered partnership firm.

On 05-04-2015, Shri Ashok Agrawal has retired from the partnership. Now the partners of the firm are Shri Mahendra Agrawal, Shri Devendra Agrawal, Shri Rohit Kumar Soni and Shri Neeraj Kumar Piparsaniya. This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of registrar of firms and society.

For- M/s. Ramraja Developers,
DEVENDRA AGRAWAL,
(Partner).

(613-B.)

जाहिर सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत)

सर्व-साधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि मैसर्स मिश्रा बिल्डर्स, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 447, दिनांक 18-06-1986 में निर्देशित भागदारों में से एक भागीदारी श्री राजेन्द्रशंकर आत्मज श्री उमाशंकर मिश्रा का स्वर्गवास दिनांक 28-11-1999 को हो जाने से तथा इसी भागीदारी के कुछ अन्य भागीदार 1. श्री आर. ए. पाठक, 2. श्रीमति शोभा पति नरेन्द्र शंकर मिश्रा, 3. श्रीमति निशा पति योगेश शुक्ला ने उक्त भागीदारी फर्म के कारोबार से दिनांक 28-11-1999 से स्वेच्छा से पृथक् होने की इच्छा प्रकट की है। इसी प्रकार दिनांक 01-04-2012 को श्रीमती प्रेमलता पति श्री सुरेन्द्र शंकर मिश्रा फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2012 को श्री सुरेन्द्र शंकर मिश्रा पुत्र स्व. श्री उमाशंकर मिश्रा, निवासी-3, धार नाका मऊ, इन्दौर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। इसलिए शेष भागीदारों ने 1. श्री योगेन्द्र शंकर आत्मज स्व. श्री उमाशंकर मिश्रा, 2. श्रीमती शशि पति विरेन्द्र शंकर मिश्रा द्वारा इस भागीदारी का पुर्नः गठन दिनांक 01-04-2012 कर नवीन भागीदारी 1. श्रीमती ताराबाई पति स्व. श्री राजेन्द्र शंकर मिश्रा 29-11-1999 एवं श्री सुरेन्द्र शंकर मिश्रा पुत्र स्व. श्री उमाशंकर मिश्रा को दिनांक 01-04-2012 से सम्मिलित किया है।

फर्म-मैसर्स मिश्रा बिल्डर्स,
योगेन्द्रशंकर,
आ. स्व. श्री उमाशंकर मिश्रा,
(भागीदार)
इन्दौर (म.प्र.).

(614-बी.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स राजदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी के साझेदार श्री प्रदीप सिंह किलेदार, ऋषि राज सिंह किलेदार एवं श्रीमति आकृति किलेदार के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स राजदीप कंस्ट्रक्शन कम्पनी फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल में पंजीयन क्र. 01/06/05/00149/05, दिनांक 04-10-2005 है जिसमें कि श्रीमति प्रितिसा किलेदार पति श्री राघवेन्द्र सिंह किलेदार, दिनांक 10-11-2010 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गयी उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी की प्रकार का संबंध नहीं है इनके साथ किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार कृत्य शासकीय-अशासकीय आज दिनांक के बाद मान्य नहीं होगा साथ ही फर्म में दिनांक 10-11-2010 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया हैं। फर्म में 4 (चार) नये भागीदारों को सम्मिलित/शामिल किया गया श्री अरुण सिंह किलेदार, भागीदार क्र. 04 कहलायेगे श्री गौरव सिंह किलेदार भागीदार क्र. 05 कहलायेगे श्री अमर सिंह किलेदार भागीदार क्र. 06 कहलायेगे श्री उदय प्रताप सिंह भागीदार क्र. 07 कहलायेगे उक्त भागीदारगण, निवासी बाजार चौक भैसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) उक्त भागीदारी संशोधन विलेखानुसार सम्मिलित/शामिल साझेदारों को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे सर्व-साधारण को सूचित हों।

द्वारा-एन. के. साहू,
(अधिवक्ता)

एफ-9, एलाईड काम्पलेक्स,
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल (म.प्र.).

(615-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, (ग्रामीण) रतलाम म.प्र.

क्र.02/बी-113(1)/2016-17.

रतलाम, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्रमांक 3265/आर-3/2016.—आवेदक अध्यक्ष प्रकाशचंद्र मांगीलालजी पिपाडा, निवासी बिरमावल एवं अन्य के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्याय अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "ग्राम बिरमावल में श्री विमलनाथ राजेन्द्रसुरी जैन मंदिर ट्रस्ट बिरमावल, तहसील रतलाम" के पंजीयन हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रूचि हो, अथवा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 28 जनवरी, 2017 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यासी का पूरा नाम	:	“ श्री विमलनाथ राजेन्द्रसुरी जैन मंदिर ट्रस्ट बिरमावल”.
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम बिरमावल में आबादी क्षेत्र में 99.6 बाय 82.6, 51.6 बाय 38.6 का एक भूखण्ड.
चल सम्पत्ति	:	निरंक

सम्पत्ति की जानकारी:

प्रारूप“अ”

चल सम्पत्ति	:	निरंक
-------------	---	-------

प्रारूप“ब”

अचल सम्पत्ति	:	श्री विमलनाथ स्वामी जैन जिनालय ट्रस्ट, बिरमावल.
--------------	---	---

भूखण्ड मय जिन मंदिर स्थित ग्राम बिरमावल आबादी क्षेत्र 99.6x82.6, 51.6x38.6

संलग्न प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत बिरमावल क्र. 16 दिनांक 16-09-2016 के अनुसार है।

नेहा भारतीय,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(18)

न्यायालय पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोतवाली, जबलपुर

राजस्व प्रकरण क्र.4/बी-113(4)/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक श्रीमति सुमन अग्रवाल पति स्व. नरेन्द्र अग्रवाल, निवासी नरेन्द्र निवास 1936, प्रेम मंदिर के पास राइट टाउन, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 17 जनवरी, 2017 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अधिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	:	नरेन्द्र अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट.
2. लोक न्यास का पता	:	नरेन्द्र निवास, 1936, प्रेम मंदिर के पास, राइट टाउन, जबलपुर.
3. चल सम्पत्ति	:	5000/- नगद.
4. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

जारी दिनांक-07-12-2016.

अंकुर मेश्राम,

अनुविभागीय अधिकारी.

(19)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1766.—जटाशंकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अनगौर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1368, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर, उक्त जटाशंकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अनगौर, पंजीयन क्रमांक 1106, छतरपुर, दिनांक 10 मार्च, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(21)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1767.—खुशबू ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राजनगर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1366, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर, उक्त खुशबू ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राजनगर, पंजीयन क्रमांक 917, छतरपुर, दिनांक 26 मार्च, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(22)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1768.—एकता नागरिक सहकारी समिति मर्या., राजनगर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1365, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, छतरपुर, उक्त एकता नागरिक सहकारी समिति मर्या., राजनगर, पंजीयन क्रमांक 1182, छतरपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(23)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1769.—मोनिका ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1361, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, छतरपुर, उक्त मोनिका ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर, पंजीयन क्रमांक 21, छतरपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(24)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1770.—समीक्षा ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1363, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, छतरपुर, उक्त समीक्षा ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर, पंजीयन क्रमांक 29, छतरपुर, दिनांक 10 अक्टूबर, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(25)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1772.—चंदेल महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धौरी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1366, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, छतरपुर, उक्त चंदेल महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धौरी, पंजीयन क्रमांक 1105, छतरपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(26)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1773.—शिक्षा विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1369, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, छतरपुर, उक्त शिक्षा विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., छतरपुर, पंजीयन क्रमांक 1073, छतरपुर, दिनांक 01 सितम्बर, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(27)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1774.—छत्रसाल फल-फूल बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., गहरवार (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1357, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, छतरपुर, उक्त छत्रसाल फल-फूल बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., गहरवार, पंजीयन क्रमांक 1117, छतरपुर, दिनांक 09 अगस्त, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(28)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1775.—बालाजी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पहाड़गाँव (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है)

को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1356, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर, उक्त बालाजी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पहाड़गाँव, पंजीयन क्रमांक 1104, छतरपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(29)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1776.—स्पष्टि महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1109, छतरपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर, उक्त स्पष्टि महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर, पंजीयन क्रमांक 13, छतरपुर, दिनांक 06 जुलाई, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(30)

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1777.—माँ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1108, छतरपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर, उक्त माँ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर, पंजीयन क्रमांक 16, छतरपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अखिलेश कुमार निगम,

डिप्टी रजिस्ट्रार.

(31)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी, 2017-पोष 30, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 अगस्त, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), कराहल (शयोपुर), अटेर, भिण्ड, मेहगांव, लहार (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), पिछोर, खनियाधाना (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), लवकुशनगर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), बीना, खुरई (सागर), रामपुर-बधेलान, नागौद, उचेहरा, मैहर (सतना), त्योंथर, सिरमोर, मऊगंज (रीवा), सोहागपुर (शहडोल), खाचरौद, तराना, घटिया, बड़नगर (उज्जैन), शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल (शाजापुर), जोबट, अलीराजपुर, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, धार, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी (धार), बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, गोगांवा, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), सेंधवा, पाटी (बड़वानी), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), जावर, इच्छावर (सीहोर), बिछिया (मंडला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील मुरैना (मुरैना), विजयपुर (शयोपुर), मिहोनारोन (भिण्ड), शिवपुरी, करैरा, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना, बमोरी, चांचौड़ा, कुंभराज (गुना), पलेरा (टीकमगढ़), नौगांव, बिजावर (छतरपुर), पवई (पन्ना), बंडा, राहतगढ़, मालथोन (सागर), हटा (दमोह), रघुराजनगर, मझगांवां, अमरपाटन, बिरसिंहपुर (सतना), जैतपुर (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), उज्जैन, नागदा (उज्जैन), गुलाना (शाजापुर), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), सरदारपुर, डही (धार), बड़वानी, राजपुर (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), सीहोर, आषा (सीहोर), पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), मण्डला (मण्डला), जुन्नारदेव, उमरेठ (छिन्दवाड़ा), लांजी, किरनापुर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील आरोन (गुना), जतारा, टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), शाहनगर (पन्ना), शाहगढ़ (सागर), पथरिया (दमोह), रामनगर (सतना), हनुमना (रीवा), बुढ़ार (शहडोल), जैतहरी (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), जावद, नीमच (नीमच), च. शेखर आ. नगर (अनूपपुर), पानसेमल (बड़वानी), श्यामपुर, नसरुल्लागंज (सीहोर), होशंगाबाद, वाबई (होशंगाबाद), परासिया, पांहुर्ना, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील श्योपुर (श्योपुर), कोलारस (शिवपुरी), पृथ्वीपुर (टीकमगढ़), छतरपुर, राजनगर, बक्सवाहा (छतरपुर), सागर, रहली, देवरी, गढाकोटा, केसली (सागर), बटियागढ़, दमोह, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), ब्यौहारी, जैसिंगनगर, गोहपारु (शहडोल), कोतमा, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), मनासा (नीमच), महिदपुर (उज्जैन), मो. बड़ोदिया (शाजापुर), सोण्डवा (अलीराजपुर), रेहटी, बुधनी (सीहोर), सिवनी-मालवा, इटारसी, सोहागपुर, पचमढी (होशंगावाड), सीहोर, पाटन, जबलपुर, मंझोली, कुंडम (जबलपुर), गाडरवारा, करैली, नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, नैनपुर, मंडला, नारायणगंज (मंडला), छिन्दवाड़ा, तामिया, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, चांद, बिछुआ, हरई (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, धंसौर, घनौरा (सिवनी), बालाघाट, बेहर, वारासिवनी, कटंगी, खैरलांजी, लालबर्सा, बिरसा, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.- तहसील सिवनी, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर व मंडला में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला श्योपुर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, शहडोल, नरसिंहपुर व मण्डला में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.-

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 अगस्त, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगाढ़ 6. कैलारस 19.6 7.0 16.0 . .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मक्का सुधरी हुई. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	101.0 10.5 22.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	16.0 1.0 . . 11.5 10.0 24.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	5.5 4.8 3.0 4.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	25.0 11.0 4.0 . . 30.6 72.0 32.0 33.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	13.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	24.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	9.0				
4. चन्देरी	6.0				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	19.7		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	10.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	20.0				
4. आरोन	51.0				
5. चाचौड़ा	19.0				
6. कुम्भराज	16.5				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	10.0		4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उर्दा, मूंगफली, तिल, अरहर- समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	61.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	35.4				
4. टीकमगढ़	48.0				
5. बल्देवगढ़	6.0				
6. पलेरा	18.4				
7. ओरछा	51.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	5.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	10.0		(2) . .		
3. नौगांव	20.2				
4. छतरपुर	101.4				
5. राजनगर	64.4				
6. बिजावर	30.2				
7. बड़ामलहरा	7.8				
8. बक्सवाहा	63.4				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	2.2		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	12.2		(2) . .		
3. गुनौर	4.4				
4. पवई	28.0				
5. शाहनगर	35.3				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बीना	4.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	16.8		(2) . .		
3. बण्डा	24.4				
4. सागर	63.8				
5. रेहली	58.0				
6. देवरी	92.0				
7. गढ़ाकोटा	187.6				
8. राहतगढ़	27.5				
9. केसली	189.1				
10. मालथोन	27.2				
11. शाहगढ़	43.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूंग, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	32				
2. बटियागढ़	105.3				
3. दमोह	76				
4. पथरिया	37				
5. जवेरा	121				
6. तेन्दूखेड़ा	67.6				
7. पटेरा	95				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन कम. धान, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, अरहर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	26.6				
2. मझगवां	24.0				
3. रामपुर-बधेलान	15.0				
4. नागौद	5.2				
5. उचेहरा	7.2				
6. अमरपाटन	30.0				
7. रामनगर	50.0				
8. मैहर	12.0				
9. बिरसिंहपुर	27.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) उड़द, मूंग अधिक. धान, सोयाबीन कम. मूंग, तुअर, ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौथर	1.0				
2. सिरमौर	4.6				
3. मऊगंज	5.4				
4. हनुमना	43.2				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	17.0				
2. ब्यौहारी	70.0				
3. जैसिंहनगर	82.0				
4. बुढ़ार	42.3				
5. गोहपारू	70.0				
6. जैतपुर	22.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोया., तुअर, तिल, कोदों-कुटकी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	36.6				
2. अनूपपुर	24.6				
3. कोतमा	172.2				
4. पुष्पराजगढ़	220.1				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, ज्वार अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	66.2				
2. पाली	72.0				
3. मानपुर	50.0				
19. *जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, मक्का, तिल, तुअर, मूंगफली, मूंग अधिक. धान-कम. ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	52.0				
2. नीमच	41.0				
3. मनासा	57.1				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	16.0				
2. महिदपुर	76.0				
3. तराना	15.0				
4. घटिया	16.0				
5. उज्जैन	23.0				
6. बड़नगर	4.0				
7. नागदा	23.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ौदिया	55.0				
2. शाजापुर	6.6				
3. शुजालपुर	12.0				
4. कालापीपल	14.0				
5. गुलाना	22.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग अधिक. सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2) ..		
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. खातेगांव	..					
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..			4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, धान, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..			(2) ..		
3. पेटलावद	..					
4. झाबुआ	..					
5. राणापुर	..					
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	7.6			4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	12.0			(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	26.2					
4. सौंडवा	60.0					
5. उदयगढ़	11.2					
6. च. शेखर आ. नगर	35.2					
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	5.6			4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	28.0			(2) ..		
3. धार	9.8					
4. कुक्षी	7.2					
5. मनावर	..					
6. धरमपुरी	13.0					
7. गंधवानी	4.0					
8. डही	28.0					
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..			(2) ..		
3. इन्दौर	..					
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	7.0			4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. धान, कपास, मूंगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	6.4			(2) ..		
3. सेगांव	12.0					
4. खरगौन	..					
5. गोगावां	10.0					
6. कसरावद	..					
7. भगवानपुरा	4.0					
8. भीकनगांव	17.0					
9. झिरन्या	13.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	29.8			4. (1) गन्ना समान. गोहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अजड़	..					
4. राजपुर	19					
5. सेंधवा	15					
6. वरला	..					
7. पानसेमल	38					
8. पाटी	16					
9. निवाली	..					
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..			4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..			ज्वार, उड़द, मूंग.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..			(2) ..		
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	27.4			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	5.0			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	8.0					
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..					
4. ब्यावरा	..					
5. सारंगपुर	..					
6. पचोर	..					
7. नरसिंहगढ़	..					
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..					
4. बासोदा	..					
5. नटेरन	..					
6. विदिशा	..					
7. गुलाबगंज	..					
8. ग्यारसपुर	..					
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	26.5			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	35.5			(2)	
3. आष्टा	31.0					
4. जावरा	17.3					
5. इछावर	16.0					
6. नसरूल्लागंज	52.0					
7. रेहटी	101.8					
8. बुधनी	92.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	52.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	23.0		(2) ..		
3. बेगमगंज	65.0				
4. गोहरगंज	63.0				
5. बरेली	76.4				
6. सिलवानी	55.0				
7. बाड़ी	110.5				
8. उदयपुरा	53.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	93.0		4. (1) गन्ना, धान, उड़द अधिक. सोयाबीन, मूंगमोठ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	52.40		(2) ..		
3. बावई	41.0				
4. इटारसी	59.8				
5. सोहागपुर	68.0				
6. पिपरिया	32.4				
7. बनखेड़ी	29.4				
8. पचमढी	91.0				
43. *जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	76.0		4. (1) मक्का अधिक. उड़द, धान, तुअर, को. कुटकी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	154.0		(2) ..		
3. जबलपुर	139.8				
4. मझोली	67.0				
5. कुण्डम	141.6				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	59.0				
2. करेली	115.0				
3. नरसिंहपुर	138.0				
4. गोटेगांव	101.0				
5. तेंदूखेड़ा	123.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन्, को.-कु. तुअर, उड़द, तिल सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	85.4				
2. बिछिया	13.9				
3. नैनपुर	135.4				
4. मण्डला	97.4				
5. घुघरी	34.4				
6. नारायणगंज	102.0				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	76.0				
2. जुन्नारदेव	24.6				
3. परासिया	47.3				
4. तामिया	63.0				
5. सौंसर	72.7				
6. पांडुर्णा	36.6				
7. अमरवाड़ा	62.0				
8. चौरई	63.8				
9. चाँद	88.4				
10. बिछुआ	199.8				
11. हरई	141.8				
12. उमरेठ	32.6				
13. मोहखेड़ा	42.4				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, को-कु, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	309.0				
2. केवलारी	122.80				
3. लखनादोन	85.20				
4. बरघाट	178.30				
5. उरई	137.0				
6. घंसोर	63.0				
7. घनोरा	97.90				
8. छपारा	334.80				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	89.0				
2. लाँजी	27.2				
3. बैहर	95.0				
4. वारासिवनी	84.0				
5. कटंगी	136.2				
6. किरनापुर	18.6				
7. खैरलाँजी	80.0				
8. लालबर्गा	85.0				
9. बिरसा	91.8				
10. परसबाड़ा	52.6				

टीप.-*जिला सीधी, हरदा, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(17)